

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/112/2021

अपीलार्थी:-

श्री अरुण कुमार, चैम्बर नं0 126, जिला
न्यायालय, रेवाडी (हरियाणा)

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला
कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 10-08-2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को जरिये मेल दिनांक 09.07.2021 से प्राप्त अपील के माध्यम से प्रा0 पत्र दिनांक 14-04-21 में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 02.08.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1400 दिनांक 28.07.21 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 14.04.21, अपील प्रा0पत्र दिनांक 09.07.2021 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर पत्रांक 1301 दिनांक 28.07.21 के माध्यम से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपील की अनुपालना में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(नन्मल पथकिया)
जिला कलक्टर, अलवर